भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2065

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

2065. श्री बी. के. पार्थसारथीः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या सरकार ने महिलाओं और बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में कोई परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित महिलाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महिलाओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए कोई परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-बार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में निधियन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जलवायु परिवर्तन और महिलाओं पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संवर्धनात्मक कार्यकलाप किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में ऑडिट नहीं किया है। इसके अलावा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्होंने भी महिलाओं और बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में ऑडिट नहीं किया

है। हालांकि, दिसंबर 2023 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को प्रस्तुत तीसरे राष्ट्रीय संचार (टीएनसी) के अनुसार, महिलाएं, विशेष रूप से निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि वाली महिलाएं, जलवायु परिवर्तन के कुछ सबसे गंभीर प्रभावों का सामना करती हैं। वैश्विक स्तर पर अब यह स्वीकार किया गया है कि जलवायु संकट और इसके प्रभाव 'लिंग-तटस्थ' नहीं हैं।

यूनिसेफ ने माना है कि बच्चों को निम्नलिखित कारकों के कारण अतिरिक्त कमजोरियों का सामना करना पड़ता है:

i. बच्चों में शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की कम क्षमता के कारण निर्जलीकरण का खतरा अधिक होता है, जिससे वे लू और उच्च तापमान के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
ii. जलवायु परिवर्तन के कारण फसलें खराब हो सकती हैं और कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप बच्चों में कुपोषण की दर बढ़ सकती है।

एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (एमएसएसआरएफ) द्वारा 2024 में किए गए एक हालिया अध्ययन में भारत के विभिन्न कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की जांच की गई है। इस अध्ययन में यह पाया गया है कि बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में महिलाएँ और बच्चे जलवायु संबंधी आपदाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। जलवायु संबंधी खतरों के संपर्क में आने वाले बच्चों में ठिगनापन, अल्पवजन की स्थिति और समय से पहले गर्भधारण की संभावना अधिक होती है। इस अध्ययन के अनुसार, सूखे की घटनाओं के कारण महिलाओं में कम वजन की संभावना 35 प्रतिशत, बाल विवाह 37 प्रतिशत, किशोरावस्था में गर्भधारण 17 प्रतिशत और घनिष्ठ साथी द्वारा हिंसा की संभावना 50 प्रतिशत तक बढ़ जाती है।

(ग) से (च) : सरकार महिलाओं और बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को स्वीकार करती है और इससे होने वाली कमजोरियों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2019 में जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीएचएच) शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य विशेष रूप से कमजोर समूहों जैसे महिलाओं, बच्चों और कमजोर समुदायों में जलवायु

परिवर्तनशीलता और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के कारण रुग्णता, मृत्यु दर, चोटों और स्वास्थ्य कमजोरियों को कम करना है। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य सामान्य जागरूकता बढ़ाने, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों की क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारियों को मजबूत करने, सहयोगी साझेदारी और जलवायु संवेदनशील स्वास्थ्य मुद्दों पर अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ हैं। इस कार्यक्रम में जलवायु संवेदनशील बीमारियों और वायु प्रदूषण, गर्मी से संबंधित बीमारी, प्रतिकूल मौसम की अन्य घटनाओं तथा हरित और जलवायु रोधी स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य मुद्दों पर स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रतिक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह कार्यक्रम राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों के संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। स्वास्थ्य सुविधा और सामुदायिक स्तर के कार्यान्वयन के लिए उप-जिला स्तर पर कार्यकलापों को भी शामिल किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विषम मौसमी घटनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री भी तैयार की है। इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जलवायु संबंधी विभिन्न मुद्दों पर जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किए जाते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तैयारियों की समीक्षा और आगे की कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के साथ संगत निगरानी सूचना का आदान-प्रदान भी करता है।

सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का कार्यान्वयन करती है जो एक व्यापक नीतिगत ढांचा है और इसमें सौर ऊर्जा, बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता, जल, कृषि, हिमालयी तंत्र, सतत पर्यावास, स्वास्थ्य, हरित भारत और जलवायु परिवर्तन पर कार्यनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश सहित 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एनएपीसीसी के उद्देश्यों के अनुरूप जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजनाएं (एसएपीसीसी) तैयार की हैं।

इसके अलावा, उज्ज्वला योजना जिसमें स्वच्छ रसोई गैस कनैक्शन उपलब्ध कराया जाता है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल जिसमें घर तक नल से पेयजल प्रदान किया जाता है, स्वच्छ भारत अभियान जिसके तहत करोड़ों घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है और आवास के लिए सरकार की प्रमुख योजना प्रधान मंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं ने न केवल महिलाओं के कठिन परिश्रम को कम किया है बल्कि

उनके स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने और सशक्तीकरण में भी मदद की है। इस प्रकार, महिलाओं से संबंधित मुद्दों को भारत सरकार के विकासात्मक और आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमों में मुख्य धारा में लाया जा रहा है।

*****